भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1679

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

तमिलनाडु में अटल पेंशन योजना को बढ़ावा देना

1679. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में आज तक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा पिछले वर्ष के दौरान इसके तहत कितने नए नामांकन हुए;

(ख) सरकार द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में अटल पेंशन योजना को बढ़ावा देने तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा अन्य पात्र आबादी के बीच उक्त योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु में ऐपीवाई में महिलाओं तथा छोटे किसानों की भागीदारी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में एपीवाई के कार्यान्वय में बैंकिंग संस्थाओं तथा डाकघरों की भूमिका क्या है तथा उक्त योजना में लोगों को सक्रिय रूप से नामांकित करने वाली शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(ड.) तमिलनाडु में एपीवाई खातों के नामांकन तथा रखरखाव में क्या चुनौतियां आई हैं/आ रही हैं तथा सरकार द्वारा उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों, के लिए सर्व-सुलभ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 09.05.2015 को किया गया था। यह योजना बैंक अथवा डाक-घर में बचत बैंक खाता रखने वाले 18-40 वर्ष के बीच की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। इस योजना का मूल्यांकन किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि योजना को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए दिनांक 01.10.2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार, अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए, एपीवाई के अंतर्गत पेंशन लाभ वर्ष 2035 से आरंभ होना अपेक्षित है।

दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में एपीवाई के अंतर्गत सकल नामांकन 49,13,640 है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7,15,766 नए नामांकन हुए थे।

सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एपीवाई के बारे में जागरूकता फैलाने और उसके कवरेज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. जागरूकता लाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

ii. तमिल सहित 13 स्थानीय भाषाओं में एपीवाई अभिदाता संबंधी सूचना ब्रोशर

iii. पात्र लाभार्थियों के बीच एपीवाई का प्रचार करने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टाफ, स्व सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक-सखियों के लिए वर्चूअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

iv. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसआरएलएम एपीवाई के संबंध में जागरूकता फैलाने और इसके कवरेज को बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं।

v. ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग को सहज बनाने के लिए ई-एपीवाई, नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और बैंक के वेब पोर्टल जैसे ऑनलाइन चैनलों को सक्रिय करना।

vi. एपीवाई संपर्क कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा तमिलनाडु में दो संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में एपीवाई के अंतर्गत महिलाओं का सकल नामांकन 27,74,265 है, जो तमिलनाडु में कुल नामांकन का लगभग 56% है।

एपीवाई को डाक विभाग (डीओपी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्मॉल फाइनेन्स बैंकों, पेमेंट बैंकों, सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इन संस्थाओं को पीएफआरडीए में प्वॉइंट ऑफ प्रेज़ेंस – एपीवाई (पीओपी-एपीवाई) के रूप में पंजीकृत किया गया है और ये एपीवाई के वितरण तथा एपीवाई अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में कुल 14,685 बैंक शाखाएं और 2,553 डीओपी शाखाएं एपीवाई के अंतर्गत व्यक्तियों का नामांकन कर रही हैं।

*****